उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 98/2019/1221/92-2-19-45जांच//2017

लखनऊ:: दिनांक:: 16 अगस्त 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-उन्नाव में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ग्राम-रामपुर खजडी, विकास खण्ड- औरास एवं ग्राम-पावा, विकास खण्ड-सफीपुर में कराये गये निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 11-09-2017 में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 8,337.00 हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-193/2017/2032//92-2-17-45 जांच/2017 दि0 31.10.2017 द्वारा श्री वी0के0 पाण्डेय, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री पाण्डेय अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दि0 31.10.2017 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-06/2018/128/92-2-18-45जांच/17 दि0 17-01-2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर के पत्र सं0-364/ ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0जां0/श्री वी0के0 पाण्डेय/तत्का0 सहा0अ0/18-19 दि0 28.06.2018 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी, जिसमें अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 04 आरोप पूर्णरूप से स्थापित बताये जाने पर शासन के पत्र दि0 11.07.2018 द्वारा श्री पाण्डेय का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 03.01.2019 द्वारा उपलब्ध कराया गया जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ग्राम रामपुर खंजडी विकास खण्ड-औरास में ग्रामीण बाजार के निर्माण कार्य की टी0ए0सी0 द्वारा जांचोपरान्त अपनी जांच रिपोर्ट दि0 11.09.2017 में निर्मित कार्य में फर्श के कार्य को अस्वीकार किया गया है तथा प्लास्टर के कार्य को 1:4 की शक्ति में कमजोर पाये जाने एवं छत में हनी काम्बिंग होने, ब्रिक वर्क की शक्ति में कमजोर पाये जाने पर कुल आंकलित शासकीय क्षति मु0 44,992.00 हुयी है, जिसमें से मु0 5,624.00 के लिये आप उत्तरदायी है एवं इसी प्रकार उपरोक्त योजनान्तर्गत ग्राम पावा, विकास खण्ड-सफीपुर में ग्रामीण बाजार के निर्माण में निर्मित भवन के फर्श के नीचे बेस कंक्रीट Below specification का कार्य होने के कारण अस्वीकार किये जाने पी0सी0सी0 के कार्य कुछ स्थानों पर तथा प्लास्टर की शक्ति में कमजोर पाये जाने के कारण, छज्जे एवं छत में हनीकाम्बिंग पाये जाने के कारण कुल आंकलित शासकीय क्षति मु0 21,709.00 में से 2,713.50 के लिये आप उत्तरदायी है।

अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्य का अनुबंध ठेकेदार व विभाग के बीच कराया गया था। कार्य मानक के अनुरूप कराये जाने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का था। मानक के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुरूप कार्य न कराये जाने हेतु ठेकेदार पूर्णरूप से उत्तरदायी है। अतएव भुगतानित धनराशि उसी से वसूल किया जाना चाहिये। सहायक अभियंता द्वारा भुगतान की संस्तुति के संबंध में अवगत कराया गया है कि अवर अभियंता की पैराइश के उपरांत ठेकेदार को दिये गये मौखिक निर्देशों के क्रम में फर्श बनाने के पूर्व मिटटी को पानी से भरकर एवं दुरमुट से कूटने के उपरांत बनाया जाना चाहिये था जो ठेकेदार द्वारा ही किया गया। इसी प्रकार प्लास्टर की शक्ति कमजोर पाये जाने के लिये ही ठेकेदार ही उत्तरदायी है जिसके द्वारा प्रोपर सीमेंट मिक्सिंग व क्यूरिंग का कार्य नही किया गया। हनी काम्बिंग में परिलक्षित कमी को ठीक करा दिया गया है। शेष अन्य कमियां सी0सी0 फाउण्डेशन, ब्रिक वर्क बिन्डो तथा वहाइट बासिंग आदि कार्य की जिम्मेदारी अवर अभियंता की थी। अतएव सम्पूर्ण शासकीय क्षति की वसूली ठेकेदार से किया जाना चाहिये।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना

अपचारी अधिकारी द्वारा टी0ए0सी0 द्वारा मदवार आंकलित शासकीय क्षति के संबंध में अपने प्रतिउत्तर में कोई उत्तर नहीं दिया गया तथा उक्त आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-1436/ग्रा0अ0से0/शि0(मु0अ0)/85, लखनऊ दिनांक 06.06.1985 का पत्र इस आशय से लगाया है कि कार्य की कुल लागत का 2 प्रतिशत की कटौती सहिष्णुता की श्रेणी में आती है, के क्रम में शासनादेश सं0-2474/62-3-09-88आरई/06 दि0 14.07.2009 में स्पष्ट उल्लेख है शासकीय क्षति यदि कुल परियोजना लागत का 2 प्रतिशत तक है तथा यदि त्रुटियां गम्भीर प्रकृति की नही है जो उक्त शासकीय क्षति सहिष्णुता सीमा के अंतर्गत मानी जाये और उसके लिये सामान्यत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नही की जाये। यदि किसी कार्य में त्रुटि गम्भीर प्रकृति की हो जिससे पूरी संचना (**structure**) या उसके किसी भाग की सुरक्षा संदेहजनक हो तो ऐसी परिस्थितियों में क्षति सहिष्णुता सीमा से कम होते हुये भी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों/ ठेकेदारों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये।

टी0ए0सी0 द्वारा भी अपनी जांच आख्या में यह लिखा गया है कि प्लास्टर के कार्य को 1:4 की शक्ति में कमजोर पाये जाने एवं छत में हनी काम्बिंग होने, ब्रिक वर्क की शक्ति में कमजोर पाये जाने पर कुल आंकलित शासकीय क्षति मु0 44,992.00 हुयी है, जिसमें से मु0 5,624.00 के लिये अपचारी अधिकारी उत्तरदायी है। पी0सी0सी0 के कार्य कुछ स्थानों पर तथा प्लास्टर की शक्ति में कमजोर पाये जाने के कारण छज्जे एवं छत में हनी काम्बिंग पाये जाने के कारण कुल आंकलित शासकीय क्षति मु0 21,709.00 में से 2,713.50 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई, जिसके लिये अपचारी अधिकारी उत्तरदायी है। अत: उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर छत में हनी काम्बिंग होने एवं प्लास्टर की शक्ति में कमजोर पाये जाने के कारण भवन निर्माण में संरचना के एक भाग की सुरक्षा में संदेह उत्पन्न करता है जो कि सहिष्णुता की श्रेणी में नहीं आता है। अपचारी सहायक अभियंता ने अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया गया है कि कार्य को मानक के अनुरूप पूर्ण कराना ठेकेदार का पूर्ण उत्तरदायित्व है। अपचारी अधिकारी का यह कथन उचित प्रतीत नही होता है परन्तु यदि अवर अभियंता एवं ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य को मानक के अनुसार नहीं कराया जाता है तो सहायक अभियंता का भी पूर्ण दायित्व है कि उसको ठीक कराये बिना भुगतान की कार्यवाही न की जाये, जिससे संबंधित सहायक अभियंता उक्त गम्भीर प्रकृति की कमियों के कारण अपने दायित्व से मुक्त नही होते। अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-1 स्थापित होता है।

जांच/निष्कर्ष :-

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आरोप सं0-1 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आरोप संख्या-2

टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 11.09.2017 में अंकत किया गया है कि एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ग्राम-रामपुर खंजडी, वि0ख0-औरास एवं ग्राम पावा, विकास खण्ड-सफीपुर में ग्रामीण बाजार के निर्माण कार्य की ड्राइंग सक्षम स्तर से अनुमोदित कराये बगैर प्राक्कलन तैयार करने, प्राक्कलन स्वीकृत के लिये संस्तुति करने के लिये आप उत्तरदायी है।

अपचारी अधिकारी का बचाव/प्रतिउत्तर

ड्रांइग सक्षम स्तर से अनुमोदित कराये बगैर प्राक्कलन बनाने एवं प्राक्कलन स्वीकृति के लिये संस्तुति के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रखण्ड की सामान्य कार्य पद्धति के अंतर्गत ड्राइंग प्रखण्डीय स्तर से उपलब्ध करायी जाती है और उसी ड्राइंग पर स्टीमेट बनाकर संस्तुति के लिये प्रखण्डीय कार्यालय स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। विस्तृत चेकिंग के उपरांत स्वीकृत किया जाता है, यदि उसमें किसी प्रकार की त्रुटि/परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो स्टीमेट व परिवर्तित ड्राइंग वापस कर सहायक अभियंता के पास वापस भेजना चाहिये था। इस प्रकार इस प्रक्रिया में सहायक अभियंता का कोई कार्य नही होता है और न ही उनका कोई उत्तरदायित्व बनता है।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना

टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दि0 11.09.2017 में अंकित किया गया है कि एस0 जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ग्राम-रामपुर खंजडी, वि0ख0-औरास एवं ग्राम-पावा, वि0ख0-सफीपुर में ग्रामीण बाजार के निर्माण कार्य की ड्राइंग सक्षम स्तर से अनुमोदित कराये बगैर प्राक्कलन तैयार करने, प्राक्कलन स्वीकृत के लिये संस्तुति करने के लिये अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया।

उक्त आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया गया है कि प्राक्कलन स्वीकृत करने से पूर्व ड्राइंग पर स्ओमेटबनाकर एवं संस्तुति करके प्रखण्डीय कार्यालय स्वीकृत हेतु भेज दिये जाते है। वहां पर कम्प्यूटर द्वारा विस्तृत चेकिंग के बाद स्टीमेट स्वीकृत किये जाते है। अधिशासी अभियंता के स्तर से सक्षम प्राधिकारी से ड्राइंग स्वीकृत कराने की औपचारिकता पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व अधिशासी अभियंता एवं जे0ई0टी0 का होता न कि सहायक अभियंता का अपचारी अधिकारी का कथन स्वीकार्य योग्य नही है। सहायक अभियंता का दायित्व है कि निर्माण कार्य की ड्राइंग (जो कि प्राक्कलन का अनिवार्य घटक है) सक्षम स्तर से अनुमोदित कराना चाहिये जो कि अपचारी सहायक अभियंता द्वारा नही किया गया। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तवयों एवं दायित्वों का निर्वाहन नही किया गया है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यो एवं दायित्वों का निर्वाहन नहीं किया गया है। आरोप संख्या-2 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

निष्कर्ष

आरोप संख्या-2 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

आरोप संख्या-3

टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दि0 11.09.2017 में अंकित किया गया है कि एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ग्राम रामपुर खंजडी, वि0ख0-औरास में एवं ग्राम पावा, वि0ख0-सफीपुर में ग्रामीण बाजार के निर्माण कार्य के त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक कराये बगैर संबधित ठेकेदार को 10 प्रतिशत जमानती धनराशि वापस करने के लिये आप उत्तरदायी है।

अपचारी अधिकारी का बचाव/प्रतिउत्तर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

ठेकेदार की सिक्योरिटी मनी वापस किये जाने के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा वापस कराया गया है कि 10 प्रतिशत जमानती धनराशि की वापसी अवर अभियंता की संस्तुति के आधार पर की जाती है। कार्य को अवर अभियंता द्वारा देखा जाता है एवं परिलक्षित कमियों को दूर कराये जाने का आश्वासन ठेकेदार से प्राप्त किया जाता है तथा कमियों का निराकरण का निर्देश भी मौखिक रूप से ठेकेदार को दिया जाता है। ऐसे में कभी-कभी काम के दबाव में जमानत की धनराशि इस आधार पर रिलीज कर दी जाती है कि कार्य ठीक करा दिया गया है। फिर भी यदि कार्य में शासकीय क्षति/कमियां परिलक्षित होती है तो ठेकेदार के नाम आर0सी0 (रिकवरी सर्टिफिकेट) काटकर शासकीय क्षति वसूल कर ली जाती है।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना

टी0ए0सी0 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दि0 11.09.2017 में अंकित किया गया है कि एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ग्राम-रामपुर खंजडी, वि0ख0-औरास एवं ग्राम-पावा, वि0ख0-सफीपुर में ग्रामीण बाजार के निर्माण के त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक कराये बगैर संबंधित ठेकेदार को 10 प्रतिशत जमानती धनराशि वापस करने के लिये अपचारी अधिकारी को आरोपित किया गया।

उक्त आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में उल्लेख किया गया है कि 10 प्रतिशत धनराशि की वापसी हेतु अवर अभियंता द्वारा त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक रिपोर्ट के आधार पर ही सहायक अभियंता एवं अधिशासी अभियंता स्तर से धरोहर धनराशि ठेकेदार से बिना कार्य की कमियां ठीक कराये अवमुक्त के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करायी गयी है। अत:
ठेकेदारको जमानत धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु संबंधित अवर अभियंता उत्तरदायी है। अपचारी अधिकारी का कथन उचित नही है उनका उत्तर आभासी एवं उक्त जमानत धनराशि वापसी के बाद उक्त क्षति की भरपाई हेतु अन्य श्रोतों से वसूली प्रक्रिया के संबंध में सुझाव है न कि आरोप पत्र का उत्तर। इस प्रकार सहायक अभियंता का दायित्व होता है कि ठेकेदार से बिना कार्य की कमियां ठीक कराये बगैर 10 प्रतिशत जमानत धनराशि अवमुक्त संबंधी प्रकरण संस्तुति न की जाय। परन्तु अपचारी अधिकारी सहायक अभियंताद्वारा बिना कमियां ठीक कराये ही जमानत धनराशि अवमुक्त संबंधी प्रकरण पर संस्तुति करते हुये अधिशासी अभियंता को अग्रसारित किया जाना उनको सौपे गये कार्य की वास्तविक स्थिति को संज्ञान में लिये बिना का अभाव/कार्यो के प्रति उदासीनता को परिलक्षित करता है। जैसा कि आरोप सं0-4 में अपचारी अधिकारी द्वारा कार्य का पर्यवेक्षण न किये जाने का आरोप स्थापित पाया जाता है। आरोप संख्या-3 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

निष्कर्ष

आरोप संख्या-3 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

आरोप संख्या-4

उक्त संदर्भित निर्माण कार्यो के पर्यवेक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका था परन्तु आप द्वारा निर्माण कार्यो के दौरान उक्त कार्यो का समुचित पर्यवेक्षण नही किया गया और न ही आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अवर अभियंता को दिये गये। इस प्रकार से आप कार्यो का समुचित पर्यवेक्षण न किये जाने हेतु उत्तरदायी पाये गये है।

अपचारी अधिकारी का बचाव/प्रतिउत्तर

निर्माण कार्य के दौरान समुचित पर्यवेक्षण न किये जाने अथवा अवर अभियंता को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत न किये जाने के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा आरोप सं0-1 के बचाव उत्तर में स्पष्ट किया जा चुका है कि उनके अवर अभियंता द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

ठेकेदार को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे परन्तु ठेकेदार द्वारा उसका पूर्ण पालन नही किया गया है। निर्गत दिशा निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी अवर अभियंता की होती है परन्तु उसके पास कई कार्य होने के कारण वह पूर्ण समय बैठकर कार्य मानक के अनुरूप नही कराता।

जांच अधिकारी की जांच आख्या/विवेचना

उक्त संदर्भित निर्माण कार्यो के पर्यवेक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व अपचारी अधिकारी का था परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा निर्माण कार्यो के दौरान उक्त कार्यो का समुचित पर्यवेक्षण नही किया गया और नही आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अवर अभियंता को दिये गये। इस प्रकार से अपचारी अधिकारी को कार्यो का समुचित पर्यवेक्षण न किये जाने हेतु आरोपित किया गया है।

उक्त आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी ने अपने बचाव उत्तर में यह उल्लेख किया गया है कि कार्यो को मानक एवं विशिष्टियों के अनुसार अवर अभियंता एवं ठेकेदार को मौखिक निर्देश दिये गये। अवर अभियंता द्वारा कार्य का मापांकन कर भुगतान की कार्यवाही कराने से पूर्व सहायक अभियंता के निर्देशों का अनुपालन न करते हुये भुगतान की कार्यवाही हेतु सहायक अभियंता के निर्देशों का अनुपालन न करते हुये भुगतान की कार्यवाही हेतु सहायक अभियंता से संस्तुति करायी गयी जिसके लिये अवर अभियंता का उत्तरदायित्व निर्धारित होता है अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया। अपचारी अधिकारी का कथन उचित प्रतीत होता है। यदि अपचारी अधिकारी द्वारा कार्य का समुचित निरीक्षण एवं पायी गयी कमियों को संज्ञान में लाया जाता तो संबंधित को उक्त कमियों के चलते भुगतान न किया जाता और ऐसी स्थिति उत्पनन होती कि रिकवरी आदि की कार्यवाही किये जाने को बाध्य होना पडता। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव उत्तर में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन जागरूकता/सतर्कता से नहीं किया गया है। इस प्रकार अपचारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाहन भली भांति न करने के कारण आरोप संख्या-4 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

निष्कर्ष

आरोप संख्या-4 अपचारी अधिकारी पर स्थापित होता है।

अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन

अपचारी अधिकारी श्री पाण्डेय द्वारा अपने अभ्यावेदन में उल्लिखित किया गया कि जांच अधिकारी की जांच आख्या उन्हें स्वीकार है तथा इस संबंध में उन्हें कुछ भी नहीं कहना है।

3- अपचारी अधिकारी द्वारा जांच अधिकारी की जांच आख्या का निष्कर्ष स्वीकार किये जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 31-10-2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 17.01.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया है, को उनके विरूद्ध टी0ए0सी0 जांच आख्या में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 8,337.00 की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूल किये जाने के अनन्तिम निर्णय लिया गया। उक्त विनिश्चित अनन्तिम निर्णय पर शासन के पत्र सं0-311/92-2-19-45जांच/2017 दिनांक15.03.2019 द्वारा लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज से सहमति मांगी गयी, जो उनके पत्र सं0-13/11/एडीसी/एस-12/18-19 दिनांक 04.06.2019 से निम्नवत उपलब्ध करायी गयी :-

''शासकीय क्षति की धनराशि रू0 8,337.00 की वसूली अपचारी अधिकारी की सेवानैवृत्तिक देयको से की जाय।''

4- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा उपलब्ध करायी गयी सहमति व अन्य संगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त अपचारी अधिकारी, श्री पाण्डेय पर अधिरोपित सभी 04 आरोप स्थापित पाये जाने के उपरान्त भी उनके सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उन्हें प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के कारण उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 31.10.2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही, जिसे शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.01.2018 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित कर दिया गया है, को निम्नवत वसूली का दण्ड देते हुये समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

''जनपद-उन्नाव में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा एस0जी0एस0वाई0 योजनान्तर्गत ग्राम-रामपुर खजडी, विकास खण्ड-औरास एवं ग्राम-पावा, विकास खण्ड-सफीपुर में कराये गये निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप मुख्य प्राविधिक परीक्षक, टी0ए0सी0 की जांच आख्या दिनांक 11-09-2017 में परिलक्षित शासकीय क्षति मु0 रू0 8,337.00 की वसूली श्री वी0के0 पाण्डेय तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-उन्नाव सम्प्रति सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता के सेवानैवृत्तिक देयकों से की जाय।'

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-98/2019/1221/(1)/92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0।
2- लोक सेवा आयोग उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र सं0-13/11/एडीसी/एस-12/18-19 दिनांक 04.06.2019 के क्रम में।
3- श्री वी0के0 पाण्डेय, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड- उन्नाव सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।